

प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि में से निष्पादन समिति के अनुमोदन अनुसार सात जिलों के निम्न शहरी विद्यालयों के लिए प्रत्येक विद्यालय में 50 लाख के विकास कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। द्वितीय चरण में चयनित प्रत्येक शहरी विद्यालय हेतु उपरोक्तानुसार 50 लाख के कार्य करवाने जाने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है-

क्र.सं.	जिला	शहरी आदर्श विद्यालय का नाम	विकास कार्य हेतु स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1	2	3	4
1	बांसवाडा	राजकीय नूतन उमावि बांसवाडा	50.00
2	भीलवाडा	राजकीय उमावि प्रतापनगर भीलवाडा	50.00
3	भरतपुर	रा.महाराजा बदनसिंह उमावि भरतपुर	50.00
4	प्रतापगढ	राजकीय उमावि प्रतापगढ	50.00
5	सिरोही	राजकीय उमावि नवीन भवन सिरोही	50.00
6	जालोर	राउमावि जालोर	50.00
7	जैसलमेर	सागरमल गोपा राउमावि जैसलमेर	50.00
	योग		350.00

अक्षरे- तीन करोड पचास लाख रुपये मात्र

(आनन्दी)

राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर
- निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर
- अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर
- अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर
- उपायुक्त प्रथम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर
- वित्त सलाहकार, रामाशिप जयपुर
- नियंत्रक वित्त, रामाशिप जयपुर
- अधीक्षण अभियन्ता, रामाशिप जयपुर
- केशियर, रोकड खाखा, रामाशिप जयपुर
- उपनिदेशक, सीएसआर प्रकोष्ठ जयपुर
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सम्बन्धित जिला
- रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक